भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1309
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 10 दिसम्बर, 2015 को दिया जाना है

राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन

1309. श्री सी० एम० रमेश:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन को पांच वर्ष पहले अनुमोदित किया गया था;
(ख) उक्त मिशन के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;
(ग) मंत्रालय उक्त मिशन के जरिए विद्युत/हायब्रिड वाहनों के संबंध में किस प्रकार से सहायता करेगा और इलेक्ट्रिक/हायब्रिड वाहन विनिर्माताओं/खरीददारों को क्या-क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) और (ख): महोदय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन को वर्ष 2011 में अनुमोदित किया और तत्पश्चात् राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 (वर्ष 2013 में) की शुरूआत की थी। मिशन के एक भाग के रूप में, भारी उद्योग विभाग ने **फेम-इंडिया** (भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण) नाम की स्कीम तैयार की है। इस समग्र स्कीम को वर्ष 2020 तक 6 वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। इस स्कीम का चरण-1 01 अप्रैल, 2015 से आरंभ होकर 2 वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किया जा रहा है। स्कीम के चार फोकस क्षेत्र होंगे यथा प्रौद्योगिकी विकास, मांग सृजन, प्रायोगिक परियोजनाएं और चार्ज करने संबंधी बुनियादी ढांचा।

(ग): फेम-इंडिया स्कीम के अंतर्गत, मंत्रालय इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को मूल्यों में अग्रिम छूट के रूप में प्रोत्साहन दे रहा है। इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड कार खरीदने वाले उपभोक्ताओं को दिया जा रहा प्रोत्साहन भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट [http://dhi.nic.in] पर उपलब्ध दिनांक 13 मार्च, 2015 की फेम इंडिया अधिसूचना सं. का.आ. 830(ई) में विनिर्दिष्ट है।

******